

| | | |
|---|---|--|
| <p>4.10.17</p> | <p>पत्रावली पेश की. जेनरल न पेश किया. रिपोर्ट करिना देकी गई कारण जन कौन्सिल होकर नही रह जा रही है. मिसल दिनांक 27-10-17 को पेश है।</p> | |
| <p>27.10.17</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। इंतजार सम्पन्न होकर मिसल दिनांक 15.11.17 को पेश है।</p> | <p>5005awar</p> |
| <p>15.11.17</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। इंतजार सम्पन्न होकर मिसल दिनांक 21.12.17 को पेश है।</p> | <p>5005awar</p> |
| <p>21.12.17</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। श्री प्रधान कौन्सिलर श्री. सखुल श्री कस्तुरी जवाब मिसल दिनांक 30.1.18 को पेश है।</p> | <p>5005awar</p> <p>UT अधिकारी 17.5.18 को पेश</p> |
| <p>30.1.18</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। P.O. साहब काहर प्रकाश है मिसल दिनांक 14.3.18 को पेश है।</p> | <p>5005awar</p> |
| <p>14.3.18</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रतिवादी वकील को प्रार्थना जाणव हेतु अतिरिक्त कपल दिया जाता है मिसल दिनांक 17.5.18 को पेश है।</p> | <p>5005awar</p> |
| <p><u>17-5-18</u> पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के तहत राजस्व केस में राजीनामा हेतु दिनांक <u>8/6/18</u> गा.प. <u>क्यावन्नपुरा</u> को पेश हो।</p> | | |
| <p>उपस्थंड अधिकारी <u>सखुल</u></p> | | |
| <p>8.6.18</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। सीरोप में उक्तुरण के लक्ष्य इस प्रकार है। ग्राम बहेडा की जमाबंदी संवत् 2068-71 के खाता सं. नया-पुराना 344-317 किताब संख्या 10.19.00 बिप्यातशा खाता सं. नया-पुराना 386-352, कि.ता 1 संख्या 2.07.00 बिप्या वादी माँ (वादी) के माई</p> | <p>सानर दास</p> <p>पत्रावली 8.6.18</p> |

के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हैं तथा खाता सं. 386-352 ^{पति} वादी
 के नाम दर्ज हैं 25-9-17 को प्रतिवादी सं. 1 से पत्नी खुले प्राम
 वादी को धमकी दी। सी प्रारजी प्र-प्र को बेचान करेंगे। जो तैरे
 कब्जा लेता रहेगा। शर्दी द्वारा प्रतिवादी को ऐसा नहीं करने का
 निषेध किया तो उन्होंने सखम न्यायालय में कार्यवाही करते
 हेतु कहा। जिससे दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वादी
 को स्वतंत्र कार्रवार दायित्व दिया जावे तथा शिक्कीया
 का नाम विलीपित किया जावे। प्रकरण दर्ज रजि. क्रियागमा
 भणारी गण को तलब किया गया। पक्षकार ने उपस्थित होकर बताया
 कि पक्षकार में प्रापसी विवाद और गलतफहमी उत्पन्न होने से
 दावा पेश किया है। अब दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं
 रहा है। वाद वर्णित प्रारजी का बेचान नहीं करने हेतु प्रतिवा
 धाकत है। अतः प्रकरण न. ले रक होकर समाप्त है।
 डिफरी इस प्राराम की जारी है। खर्चा फरिसे भयना-भयना
 कहन करे।

निर्णय प्रज में भाम में सुनाया गया।

सदस्य
 लोक अदालत शिविर
 सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
 लोक अदालत शिविर
 सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
 लोक अदालत शिविर
 सरवाड़ (अजमेर)